नेपा लिमिटेड में महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त रुख

इंदौर समाचार नेपानगर

पोश अधिनियम पर विशेष बैठक

नेपानगर। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने को लेकर प्रशासनिक भवन के सम्मेलन कक्ष में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, निषेध एवं प्रतितोष अधिनियम-2013 (पोश-एक्ट) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के शिकायत पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन किया गया। समिति अध्यक्ष आभा महतो ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल नियमों तक सीमित नहीं, बल्कि जागरूकता और त्वरित सहायता तंत्र से जुड़ी है। उन्होंने 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं से निर्भय होकर इनका उपयोग करने का आह्वान किया।

महिलाओं के सुरक्षित एवं गरिमामय कार्य वातावरण पर जोर-

बाह्य परामर्शदात्री शुभांगी यशवंत पाटिल ने कहा कि आंतरिक समिति की जिम्मेदारी केवल शिकायतों के निपटारे तक नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर विश्वास, संवेदनशीलता और सम्मान की संस्कृति विकसित करना भी है। उन्होंने निष्पक्षता और गोपनीयता को पूरी प्रक्रिया की रीढ़ बताया।विधि विभाग की काजोल बुग्गीवाला ने अधिनियम के कानूनी पहलुओं को रेखांकित करते हुए बताया कि कानून महिलाओं को सुरक्षित और गरिमामय कार्य वातावरण का अधिकार देता है, वहीं नियोक्ता की लापरवाही पर दंडात्मक प्रावधान भी तय हैं। बैठक में पोश अधिनियम पर आधारित जागरूकता वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया, जिससे कर्मचारियों को कानून और प्रक्रिया की स्पष्ट समझ मिली। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी सेन ने किया और आभार अदिति मतलाने ने व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. मोनिया मोहिंदर यादव, निशा प्रजापति, शिवांगी सेंगर, सपना दुबे, मीना श्रीवास्तव सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।

कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा और गरिमामय वातावरण मिले, यह उनका कानूनी अधिकार

● नेपानगर / राज न्यूज नेटवर्क

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड में एक महत्वपूर्ण और जागरुकता से भरपूर बैठक आयोजित की गई।

प्रशासनिक भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में हुई इस बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, निषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं समिति की अध्यक्षा आभा महतों ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और आपातकालीन सहायता सेवाओं की अहमियत पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी असहज या संकटपूर्ण स्थिति में महिलाएं बिना झिझक इन सेवाओं का सहारा लें। यह तंत्र उन्हें त्वरित सुरक्षा और सही मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। समिति की परामर्शदात्री शुभांगी यशवंत पाटिल ने अधिनियम के व्यावहारिक पहलुओं को रेखांकित करते हुए कहा कि आंतरिक समिति केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर संवेदनशीलता, विश्वास और सम्मानजनक व्यवहार की संस्कृति विकसित करना भी उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है।

उन्होंने निष्पक्षता और गोपनीयता को पूरी प्रक्रिया की रीढ़ बताया। नेपा लिमिटेड के विधि विभाग की काजोल बुग्गीवाला ने कानून की वैधानिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को सुरक्षित और गरिमामय कार्य वातावरण का कानूनी अधिकार देता है। उन्होंने नियोक्ता की जिम्मेदारियों, अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और उल्लंघन की स्थिति में होने वाले कठोर दंडात्मक प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अधिनियम पर आधारित एक जागरुकता वृत्तचित्र का प्रस्तुतीकरण वित्त एवं लेखा विभाग की कर्मचारी लक्ष्मी मेहताब द्वारा किया गया, जिसमें विषय को सरल और सहज रूप में समझाया गया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी सेन ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन अदिति मतलाने ने किया। इस अवसर पर डॉ. मोनिया मोहिंदर यादव, निशा प्रजापति, शिवांगी सेंगर, सपना दुबे, मीना श्रीवास्तव सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक ने स्पष्ट संदेश दिया कि नेपा लिमिटेड महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा और सुरक्षित कार्यस्थल उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

महिलाओं के अधिकारों की दी जानकारी

नईदुनिया न्यूज, नेपानगरः नेपा लिमिटेड के प्रशासनिक भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई।

जिसमें महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, निषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित शिकायत पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति की अध्यक्ष आभा महतो ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर तथा आपातकालीन सहायता सेवाओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट य असहज परिस्थिति में महिलाएं निःसंकोच इन सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं। यह तंत्र उन्हें त्वरित संरक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

समिति की बाह्य परामर्शदात्री शुभांगी पाटिल ने अधिनियम के व्यावहारिक

बैठक में शामिल नेपा मिल की महिला कर्मचारी। ● नईदुनिया

पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आंतरिक समिति की भूमिका केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर विश्वास, संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार की संस्कृति विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने निष्पक्षता और गोपनीयता को पूरी प्रक्रिया का आधार बताया। नेपा लिमिटेड के विधि विभाग की काजोल बुग्गीवाला ने अधिनियम की वैधानिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह कानून महिलाओं को गरिमामय और सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, नियोक्ता की जिम्मेदारियों तथा अनुपालन न होने की स्थिति में दंडात्मक परिणामों की जानकारी दी। संचालन लक्ष्मी सेन ने किया, आभार अदिति मतलाने ने व्यक्त किया। इस दौरान डा. मोनिया मोहिंदर यादव, निशा प्रजापति, शिवांगी सेंगर, सपना दुबे, मीना श्रीवास्तव उपस्थित थीं।

दैनिक भास्कर बुरहानपुर 30-12-2025

नेपा मिल्स ने आयोजित की बैठक • महिलाओं को कानूनी अधिकारों और हेल्प लाइन नंबरों की दी जानकारी

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण की दी जानकारी

भास्कर संवाददाता | नेपानगर

कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड के प्रशासनिक भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, निषेध व प्रतितोष अधिनियम 2013 और महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित शिकायत पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति की अध्यक्ष

महिलाओं को जानकारी देते पदाधिकारी।

आभा महतो ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर व आपातकालीन सहायता सेवाओं का महत्व बताया। किसी भी संकट या असहज परिस्थिति में महिलाएं निःसंकोच इन सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं और यह तंत्र उन्हें त्वरित संरक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। समिति की बाह्य परामर्शदात्री शुभांगी यशवंत पाटिल ने अधिनियम के व्यावहारिक पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आंतरिक समिति की भूमिका केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर विश्वास, संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार की संस्कृति विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने निष्पक्षता और गोपनीयता को पूरी प्रक्रिया का आधार बताया। नेपा लिमिटेड के विधि विभाग की काजोल बुग्गीवाला ने अधिनियम की वैधानिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह कानून महिलाओं को गरिमामय और सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, नियोक्ता की जिम्मेदारियों तथा अनुपालन न होने की स्थिति में दंडात्मक परिणामों की जानकारी दी। बैठक में अधिनियम से संबंधित जागरुकता आधारित वृत्तचित्र का प्रस्तुतीकरण वित्त व लेखा विभाग की कर्मचारी लक्ष्मी मेहताब ने किया। इससे विषय को सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाया गया। इस दौरान लक्ष्मी सेन, अदिति मतलाने, डॉ. मोनिया मोहिंदर यादव, निशा प्रजापति, शिवांगी सेंगर, सपना दुबे, मीना श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद थीं।

नेपा लिमिटेड में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक

दैनिक खबरों की रोशनी जिला ब्यूरो चीफ रविंद्र इंगले

बुरहानपुर/नेपानगर। नेपानगर में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित,सम्मानजनक और संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड के प्रशासनिक भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण,निषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित शिकायत पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।समिति की अध्यक्षा आभा महतो ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर तथा आपातकालीन सहायता सेवाओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट या असहज परिस्थिति में महिलाएं नि:संकोच इन सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं और यह तंत्र उन्हें त्वरित संरक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। समिति की बाह्य परामर्शदात्री शुभांगी यशवंत पाटिल ने अधिनियम के व्यावहारिक पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आंतरिक समिति की भूमिका केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित नहीं है,बल्कि कार्यस्थल पर विश्वास,संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार की संस्कृति विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने निष्पक्षता और गोपनीयता को पूरी प्रक्रिया का आधार बताया। नेपा लिमिटेड के विधि विभाग की काजोल बुग्गीवाला ने अधिनियम की वैधानिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह कानून महिलाओं को गरिमामय और सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों,नियोक्ता की जिम्मेदारियों तथा अनुपालन न होने की स्थिति में दंडात्मक परिणामों की जानकारी दी। बैठक के दौरान अधिनियम से संबंधित एक जागरूकता आधारित वृत्तचित्र का प्रस्तुतीकरण वित्त एवं लेखा विभाग की कर्मचारी लक्ष्मी मेहताब द्वारा किया गया,जिससे विषय को सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाया गया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी सेन ने किया,आभार अदिति मतलाने ने व्यक्त किया। इस दौरान डॉक्टर मोनिया मोहिंदर यादव,निशा प्रजापति,शिवांगी सेंगर,सपना दुबे,मीना श्रीवास्तव उपस्थित रहें।

Nepa Ltd strengthens women's safety in workplace

FP News Service

NEPANAGAR

A meeting, with focus on ensuring a safe, respectful and sensitive work environment for women employees, was organised in the conference room of the administrative building of Nepa Limited. The meeting reviewed effective implementation of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, along with the grievance portal of Ministry of Women and Child Development.

Committee president Abha Mahato gave information about safety measures including 181 women's helpline, One Stop Centres and emergency assistance services.

adani
Electricity
ADA
Registered Office: Adani Corporate Ho
S. G. Highway, Kho

स्वदेश
खंडवा - मुख्य संस्करण
30 Dec 2025 | Page - 11

नेपा लिमिटेड में महिलाओं की सुरक्षा पर बैठक

स्वदेश समाचार ■ नेपानगर

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड के प्रशासनिक भवन में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम-2013 और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के शिकायत पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई।

समिति की अध्यक्ष आभा महतो ने 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और आपात सेवाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं से निर्भीक होकर सहायता लेने का आह्वान किया। बाह्य परामर्शदात्री शुभांगी यशवंत पाटिल ने कहा कि आंतरिक समिति का उद्देश्य केवल शिकायत निपटान नहीं बल्कि कार्यस्थल पर विश्वास और संवेदनशीलता की संस्कृति बनाना है। नेपा लिमिटेड की विधि अधिकारी काजोल बुग्गीवाला ने अधिनियम के कानूनी प्रावधानों और नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी सेन ने एवं आभार अदिति मतलाने ने व्यक्त किया। बैठक में डॉ. मोनिया यादव, निशा प्रजापति, शिवांगी सेंगर, सपना दुबे, मीना श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।